बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 12.09.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरूद्व, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 2714 लीटर अवैध शराब तथा 18 खोखा जप्त किया गया। इसके साथ ही शेखपुरा जिला में ₹8,50,000/– तथा बांका जिले में ₹66,000/– राशि जप्त की गयी।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :–

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	124
Others	1

3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :–

No. of Arms/Weapons seized	13
No. of cartridges seized	41
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	9
No. of Licensed Arms verified	313
No. of Licensed Arms deposited	69
No. of non-bailable warrants executed	683
Fine collected in vehicle checking	Rs. 8,65,351

4. निर्वाचन विभाग के सभागार में आज बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर रोहतास, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, कैमूर एवं बांका जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी के लिए प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में नामांकन तथा स्क्रूटनी की प्रक्रिया, नामांकन के लिए योग्यता, अयोग्य किये जाने के बिन्दु, नाम वापसी, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करना तथा अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किये जाने की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निदेशों की जानकारी प्रदान की गयी। सभी विषयों पर भारत

निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये वीडियो फिल्म दिखाया गया तथा उनके सभी प्रश्नों का समाधान किया गया।

5. जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर आने वाले विमान से उतरने वाले सभी लोगों तथा सभी सामग्री/बैगेज की जाँच निर्धारित विहित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। मात्र वैसे व्यक्ति तथा बैगेज, जिन्हें नियमों के तहत् छूट प्राप्त है, को छोड़कर यात्रियों को आने-जाने की अनुमति मात्र मुख्य गेट से ही दी जायेगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी निजी विमान/हेलीकॉप्टर की आवाजाही भी इसी हवाई अड्डा से की जाये। मात्र पार्किंग सुविधा अनुमति प्राप्त कर बिहार उड्डयन संस्थान या हैंगर पर किया जा सकता है। लम्बी अवधि तक ठहरने वाले विमानों में कोई सामग्री भंडारित नहीं किया जायेगा तथा यह CISF के अधिकारियों की निगरानी में रहेगा। इस संदर्भ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना तथा वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा एयरपोर्ट तथा CISF के अधिकारियों के साथ बैठक किया गया है।

****